

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 7 / 2020 (Bank Case)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि० जिसका मुख्य व्यवसायिक रजिस्टर्ड कार्यालय- 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर राजस्थान पिन-302004 में स्थित व कार्यरत हैं।

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

## बनाम

1. श्री हेमन्त पुत्र श्री कनन (ऋणी)  
पता- बृजराज कॉलोनी, सिविल लाईन नयापुरा कोटा राज०-324001
2. श्रीमती अन्नम्मा पत्नी श्री कनन (सहऋणी)  
पता- बृजराज कॉलोनी, सिविल लाईन नयापुरा कोटा राज०-324001
3. श्री मुन्निश्वर पुत्र श्री कनन (सहऋणी)  
पता- बृजराज कॉलोनी, सिविल लाईन नयापुरा कोटा राज०-324001
4. श्री शंकर सिंह पुत्र श्री पदम सिंह सौलंकी (जमानती)  
पता- 1303, ऑफिसर क्लब के पास, नयापुरा कोटा राज०-324001

- अप्रार्थीगण / ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 21.01.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि० जिसका मुख्य व्यवसायिक रजिस्टर्ड कार्यालय- 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर राजस्थान पिन-302004 में स्थित व कार्यरत हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 31.08.2017 को रुपये 6,00,000/- (अक्षरों: रुपये छः लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्रीमती अन्नम्मा पत्नी श्री कनन की सम्पत्ति, 15, बृजराज कॉलोनी, कोटा राजस्थान जिसका प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 109.85 स्क्वायर यार्ड हैं एवं चतुर्थ सीमाएं- पूर्व में भैरूलाल का मकान, पश्चिम में चौथमल एवं रमेश का मकान, उत्तर में लक्ष्मी का मकान, दक्षिण में रोड हैं, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 23.10.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में 5,82,301/- (अक्षरों रुपये पांच लाख बियासी हजार तीन सौ एक मात्र) बकाया रकम दिनांक 23.10.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 31.10.2019 को रजिस्टर्ड


जिला मजिस्ट्रेट


डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 31.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 31.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्रीमती अन्नम्मा पत्नी श्री कनन की सम्पत्ति, 15, बृजराज कॉलोनी, कोटा राजस्थान जिसका प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 109.85 स्ववायर यार्ड हैं एवं चतुर्थ सीमाएं— पूर्व में भैरूलाल का मकान, पश्चिम में चौथमल एवं रमेश का मकान, उत्तर में लक्ष्मी का मकान, दक्षिण में रोड हैं, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को सुनाया गया।



  
(ओम कसेरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा